न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3945/2018/ग्वालियर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2018 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 53/अ-12/2017-18.

श्यामसुंदर नाहर पुत्र गोविंददास नाहर
निवासी सराफा बाजार, डबरा, कृषक ग्राम अर्रू
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

वचनसिंह पुत्र दीदार सिंह
निवासी दीदार कॉलोनी, डबरा,
जिला ग्वालियर, म.प्र. ....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक वचनसिंह पिता दीदार सिंह निवासी ग्राम अर्रू, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर ने ग्राम अर्रू की भूमि सर्वे क्र. 519 रकबा 0.330 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन कराने के लिए आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक, वृत्त डबरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षण की ओर से सीमांकन कर रिपोर्ट मय पंचनामा, फील्ड बुक, अक्श सहित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा

प्रकरण क्र. 53/17-18/अ-12 दर्ज कर दिनांक 14.05.2018 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम अरू स्थित प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को ना तो सीमांकन हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, ना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर.आई व पटवारी को उक्त भूमि का सीमांकन करने हेतु कोई आदेश पारित किया, बल्कि अतिउजलत से अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना ही अनावेदक से मिलकर राजस्व निरीक्षक व पटवारी ग्राम ने उक्त भूमि का सीमांकन कर तहसीलदार से दिनांक 14.05.2018 को पुष्टि कराते हुये सीमांकन आदेश पारित करा लिया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही सीमांकन प्रक्रिया के विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण व आस पास के कृषकगणों को अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में ना तो पक्षकार बनाया, ना अधीनस्थ न्यायालय ने अथवा राजस्व निरीक्षक व पटवारी ग्राम ने सीमांकन से पूर्व आवेदक व आसपास के पड़ोसियों को विधिवत कोई तामीलें जारी कराईं, बल्कि बिना जानकारी व तामील एकपक्षीय रूप से सीमांकन कराकर अधीनस्थ न्यायालय से विवादित सीमांकन की पुष्टि करा ली। यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि अनावेदक द्वारा अवैध रूप से बिना तामील व जानकारी एकपक्षीय रूप से पटवारी व राजस्व निरीक्षक से सांठ-गांठ कर सीमांकन कराने की कार्यवाही व कोशिश किये जाने की जानकारी आवेदक को दिनांक 31.05.2018 को प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा तहसीलदार को लिखित आपत्ति प्रस्तुत की तथा उसकी एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक श्री दिनेश व्यास को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रेषित की। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्रप्रस्तुत किये जाने व प्रापत हो जाने के बावजूद भी तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को ना तो प्रकरण मे संलग्न किया, ना जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी गई आपत्ति को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन प्रकरण में प्रस्तुत किया, बल्कि उक्त आपत्ति को छिपाते हुये व संलग्न न करते हुये आवेदक को नुकसान पहुंचाने की दृष्टिसे पिछली तारीख में आवेदक की तामीले निकालते हुये घर पर मिलने व सूचना पत्र लेने से मना किये जाने की टीप लगवाकर

पिछली तारीखों में दिनांक 14.05.2018 को सीमांकन की पुष्टि करा ली। उक्त तामील में वर्णित टीप पर ना तो तामील कराने वाले के कोई हस्ताक्षर हैं, ना किस तारीख को तामील कराई तथा मिलने के बावजूद आवेदक द्वारा तामील लेने से मना किये जाने की कोई तारीख महीना सन अंकित है। उक्त सूचना पत्र पर तामील पुलिंदा से पिछली तारीख में दिनांक 01.05.2018 की बाद में टीप लगवा ली। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक, पटवारी ग्राम व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार से मिलकर आवेदक को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से उक्त सीमांकन कार्यवाही को आवेदक से छिपाते हुये एकपक्षीय सीमांकन कराया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय में श्रीमती रेखा जैन को दिनांक 02.05.2018 को स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया है। उक्त सूचना पत्र पर श्रीमती रेखा जैन के फर्जी हस्ताक्षर होकर दिनांक 04.05.2018 लेख है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 02.05.2018 को मौके पर कोई सीमांकन नहीं किया गया है, बल्कि उक्त सूचनापत्र दिनांक 04.05.2018 को रेखा जैन को मिलने से पूर्व ही दिनांक 02.05.2018 में अर्थात् पिछली तारीख में विवादित सीमांकन कर दिया। यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि वास्तव में उक्त सूचनापत्र पर श्रीमती रेखा जैन के हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि श्रीमती रेखा जैन के फर्जी हस्ताक्षर कराकर व तारीख 04.05.2018 लिखकर सूचनापत्र जारी किया जाना व तामील हो जाना बताने की गरज से उक्त फर्जी कार्यवाही की गई है तथा उक्त फर्जी कार्यवाही के आधारपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन आदेश दिनांक 14.05.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो सूचना पत्र आवेदक श्यामसुंदर, रामदयाल बरार व रेखा जैन को जारी किये गये हैं। रेखा जैन को दिनांक 02.05.2018 को उपस्थित रहने का जो सूचना पत्र जारी किया गया है, वह रेखा जैन को दिनांक 04.05.2018 को प्राप्त होना प्रकट होता है, जबकि सीमांकन 02.05.2018 को ही कर दिया। इससे स्पष्ट है कि सूचनापत्र पर रेखा जैन के फर्जी हस्ताक्षर कर 04.05.2018 लेख की गई है। वास्तव में उसको भी कोई विधिवत तामील जारी नहीं कराई गई, ना 04.05.2018 से पूर्व दिनांक 02.05.2018 को कोई सीमांकन किया गया अन्यथा उक्त सूचना पत्र पर दिनांक 04.05.2018 के रेखा जैन के हस्ताक्षर व तारीख 04.05.2018 अंकित नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक, पटवारी ग्राम व तहसीलदार द्वारा अनावेदक से मिलकर व

षड्यंत्र कर फर्जी तामीलें व टीप लगवाकर विवादित सीमांकन पुष्ट किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पंचनामें पर श्यामसुंदर वैश्य, रामदयाल बरार व श्रीमती रेखा जैन के हस्ताक्षर नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में उन्हें कोई तामील विधिवत जारी नहीं की गई अन्यथा उपरोक्त पडोसी काश्तकार सीमांकन के समय व पंचनामा के समय मौके पर अवश्य उपस्थित होते। पंचनामे पर जो व्यक्ति अशोक, फूलचंद, धर्मेन्द्र, राजीव शर्मा, मंकेश के हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का ना तो ग्राम अरू के निवासी हैं, ना पड़ोसी काश्तकार हैं, और ना ही उनकी सर्वे नं. 519 स्थित ग्राम अरू व उससे लगी हुई कोई भूमि मौके पर मौजूद है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर ना तो कोई सीमांकन किया गया, ना कोई पंचनामा तैयार किया गया और ना ही पंचनामे के साक्षीगण में से किसी भी साक्षी ने पंचनामा बनाने की तारीख अंकित की गई है, बल्कि अनावेदक ने षड्यंत्रपूर्वक अपने हितबद्ध साक्षीगण को उक्त पंचनामें का साक्षी बनाया है।

(5) सीमांकन रिपोर्ट में यह कहीं भी दर्शित नहीं है कि भूमि सर्वे नं. 519 किस चतुर्सीमा के मध्य स्थित है तथा उक्त भूमि से किन-किन पड़ोसी काश्तकारों के कौन-कौन से सर्वे नंबरान लगे हुये हैं। सीमांकन प्रतिवेदन से आवेदक के किसी भी सर्वे नंबर में अनावेदक के सर्वे क्र. 519 की कितनी भूमि किस चतुर्सीमा के मध्य किस सर्वे नंबर में निकलती है, ऐसा भी उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद भी अनावेदक विवादित एकपक्षीय व अवैध सीमांकन के आधार पर आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नं. 261 नवीन सर्वे नं. 287 स्थित ग्राम अरू जिसके चारों ओर सीमेंटेड मुड्डियां व तार फेसिंग लगी होकर कृषि करता व कृषि लाभ प्रापत करता चला आ रहा है। उस पर जबरन बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा करने के कुप्रयास में है,जिसका उसे किंचितमात्र कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

(6) आवेदक ने दिनांक 31.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में अपनी लिखित आपत्ति तहसीलदार को प्रस्तुत की थी, जो प्रकरण पत्रिका में लगी होने के बावजूद तथा आपत्ति की एक प्रति दिनांक 31.05.2018 को तहसीलदार डबरा व राजस्व निरीक्षक वृत्त डबरा को जरिये पोस्ट प्रेषित किये जाने व उन्हें दिनांक 01.06.2018 को प्राप्त हो जाने के बावजूद तथा दिनांक 31.05.2018 तक राजस्व निरीक्षक वृत्त डबरा द्वारा तहसील डबरा को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत ना किये जाने के बावजूद दिनांक 02.05.2018 को सीमांकन किया जाना बताते हुए व आपत्ति का निराकरण ना करते हुए उक्त सीमांकन की पुष्टि कर दी। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 31.05.2018 तक राजस्व निरीक्षकव पटवारी ग्राम द्वारा मौके पर

किसी भी प्रकार का कोई स्थल निरीक्षण व सीमांकन नहीं किया गया। अन्यथा क्या कारण रहा कि दिनांक 02.05.2018 से 31.05.2018 तक उनके द्वारा प्रकरण में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक व पटवारी ग्राम ने पिछली तारीख दिनांक 02.05.2018 में सीमांकन करना बताते हुए तहसीलदार से दिनांक 14.05.2018 को पुष्टि कराते हुए आदेश पारित करा लिया, जिसकी किंचितमात्र कोई जानकारी आवेदक को ना होने दी। उपरोक्त कारणों से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक की ओर से दिनांक 31.05.2018 को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने व उक्त आपत्ति में अनावेदक वचनसिंह द्वारा कराये जा रहे सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए एस.एल.आर ग्वालियर के माध्यम से टी.एस.एम मशीन के समायता से मुश्तगिल निशानात से सीमांकन कराये जाने बावत् आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के बावजूद व उक्त आपत्ति रिकार्ड पर होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्ति का निराकरण ना करते हुए अवैध रूप से अनावेदक से मिलकर पिछली तारीख दिनांक 02.05.2018 को राजस्व निरीक्षक व पटवारी ग्राम द्वारा अवैध रूप से किये गये सीमांकन की पुष्टि कर दी। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(8) राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन व फील्ड बुक में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया कि उसके द्वारा मौके पर नक्शे में व राजस्व रिकॉर्ड में दर्शित किस मुश्तगिल सीमाचिन्ह से सर्वे क्र. 519 की सीमांकन कार्यवाही की गई, जबकि राजस्व निरीक्षक को मुश्तगिल सीमाचिन्ह से ही सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सीमांकन किया जाना प्रतिवेदित किया जाना कानूनन आवश्यक व आक्षेपित होने के बावजूद भी प्रतिवेदित नहीं किया। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही व प्रतिवेदन दूषित होकर अविधिपूर्ण होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन पुष्ट किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि करते हुए सारवान अनियमितता करते हुये सीमांकन की पुष्टि कर विवादित आदेश पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14.05.2018 विधि विरूद्ध व विधि के मान्य व प्रतिपादित न्याय सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

किसी भी प्रकार का कोई स्थल निरीक्षण व सीमांकन नहीं किया गया। अन्यथा क्या कारण रहा कि दिनांक 02.05.2018 से 31.05.2018 तक उनके द्वारा प्रकरण में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक व पटवारी ग्राम ने पिछली तारीख दिनांक 02.05.2018 में सीमांकन करना बताते हुए तहसीलदार से दिनांक 14.05.2018 को पुष्टि कराते हुए आदेश पारित करा लिया, जिसकी किंचितमात्र कोई जानकारी आवेदक को ना होने दी। उपरोक्त कारणों से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक की ओर से दिनांक 31.05.2018 को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने व उक्त आपत्ति में अनावेदक वचनसिंह द्वारा कराये जा रहे सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए एस.एल.आर ग्वालियर के माध्यम से टी.एस.एम मशीन के समायता से मुश्तगिल निशानात से सीमांकन कराये जाने बावत् आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के बावजूद व उक्त आपत्ति रिकार्ड पर होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्ति का निराकरण ना करते हुए अवैध रूप से अनावेदक से मिलकर पिछली तारीख दिनांक 02.05.2018 को राजस्व निरीक्षक व पटवारी ग्राम द्वारा अवैध रूप से किये गये सीमांकन की पुष्टि कर दी। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(8) राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन व फील्ड बुक में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया कि उसके द्वारा मौके पर नक्शे में व राजस्व रिकॉर्ड में दर्शित किस मुश्तगिल सीमाचिन्ह से सर्वे क्र. 519 की सीमांकन कार्यवाही की गई, जबकि राजस्व निरीक्षक को मुश्तगिल सीमाचिन्ह से ही सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सीमांकन किया जाना प्रतिवेदित किया जाना कानूनन आवश्यक व आक्षेपित होने के बावजूद भी प्रतिवेदित नहीं किया। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही व प्रतिवेदन दूषित होकर अविधिपूर्ण होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन पुष्ट किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि करते हुए सारवान अनियमितता करते हुये सीमांकन की पुष्टि कर विवादित आदेश पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14.05.2018 विधि विरूद्ध व विधि के मान्य व प्रतिपादित न्याय सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन का नोटिस अभिलेख अनुसार आवेदक को भी भेजा गया था, जिसे लेने से उन्होंने इंकार किया है। आवेदक ने अन्य कृषक रेखा जैन के नोटिस को लेकर जो आपत्ति की हैं, वह महत्वहीन हैं, क्योंकि रेखा जैन ने सीमांकन को चुनौती नहीं दी है। नक्शे से स्पष्ट है कि आवेदक एवं अनावेदक की भूमियों के बीच में रास्ता है, जिस पर अतिक्रमण का आवेदक के विरूद्ध पृथक से प्रकरण चल रहा है, उसी कारण से आवेदक ने इस सीमांकन को चुनौती दी है। प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन विधिवत है तथा इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। आवेदक चाहे तो अपनी भूमि का सीमांकन करा सकता है, वह अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर